प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 23.02.2026

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विशेष लोक अभियोजक श्री उत्कर्ष वत्स द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 363/366/ 376 भादवि व धारा 4 पॉक्सो अधि0 में अभियुक्त दिनेश कुमार उर्फ गुड्डू पुत्र विजेन्द्र निवासी मास्टर कॉलोनी मेरठ रोड थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0 3/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 23.02.2026 को धारा-363 भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड व धारा-366 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 4 पॉक्सो अधिनियम में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनांक 08.11.2014 को थाना सिहानीगेट पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री उत्कर्ष वत्स विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट)	**मु0आ0 सतकुमार** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 अजय कुमार** पैरोकार थाना सिहानीगेट